राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ 9(5)(14) पेंशन पोर्टल/सा.न्या.अ.वि./2015–16 13729 जयपुर दिनांक :– 21/5/10

<u>आदेश</u>

विभाग के ध्यान में आया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदक द्वारा ई–मित्र कियोस्क या स्वंय के एस एस ओ आई डी (sso id) के माध्यम से rajssp.raj.nic.in पोर्टल पर आनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान फिंगर प्रिण्ट मैच नहीं होने तथा आधार के साथ मोबाईल नंबर पंजीकृत नहीं होने के कारण ओ टी पी (one time password) प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ऐसे आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से स्वीकार नहीं किये जाते थे व संबंधित लाभार्थी आवेदन से वंचित रह जाते थे। इस समस्या का निवारण करते हुए अब यह व्यवस्था की जाती है कि ऐसे आवेदन पत्रों को स्वीकार करते हुय पोर्टल पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी के इनबॉक्स में अलग से प्रदर्शित करवाया जायेगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी इन्हें देखकर ऑनलाईन आवेदन पत्र में कमी होने पर भी उसे रिवर्ट/निरस्त नहीं कर संबंधित आवेदक को व्यक्तिशः बुलाकर आवेदन पत्र की पूर्ति करवायी जायेगी। इस तरह के आवेदन पत्रों की अन्य सूचनाओं के आधार पर जाँच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जाकर अपनी अभिशंषा के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी (सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी) के पास आनलाईन अग्रेषित करेगें। नियमानुसार स्वीकृति जारी होने पर आनलाईन आवेदन की प्रक्रिया की कार्यवाही को पूर्ण माना जायेगा। पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा डाटा में भी चिन्हित किया जायेगा।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः– एफ 9(5)(14) पेंशन पोर्टल/सा.न्या.अ.वि./2015–16 13730 – 43 जयपुर दिनांक :– 21/5/18

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सा.न्या.अ.वि. राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सा.न्या.अ.वि. राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त (समस्त)।

Scanned by CamScanner

9. जिला कलक्टर (समस्त) को प्रेषित कर अनुरोध है कि अधीनस्थ जाँच अधिकारी/स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को निर्देश प्रदान करावें।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (समस्त)।
11. उपशासन सचिव, वित्त (नियम अनुभाग)/(व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
12. निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान वित भवन जयपुर।
13. श्री आई डी बरियानी, तकनीकी निदेशक एवं श्री शेखर शुक्ला, तकनीकी निदेशक, एन आई सी को प्रेषित कर लेख है कि यदि आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय बायोमैट्रिक सत्यापन अथवा आधार नम्बर से मोबाईल नम्बर लिंक नहीं होने की स्थिति में भी आनलाईन आवेदन को स्वीकार कर ऐसे प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को पृथक सूची में प्रदर्शित करते हुए उन्हें स्वीकृतकर्ता अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु आनलाईन ही अग्रेषित कर दिया जावे एवं सुविधा rajssp.raj.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
14. जिला कोषाधिकारी (समस्त) को अपने अधीनस्थ समस्त उप कोषाधिकारियों को प्रेषित किये जाने के क्रम में।
15. ए.सी.पी. कम्प्यूटर प्रशाखा/प्रोग्रामर पेंशन प्रशाखा, सा.न्या.अ.वि. राजस्थान जयपुर।
16. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
17. आदेश पत्रावली।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Scanned by CamScanner